



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228124
CG-DL-E-06072021-228124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2497]
No. 2497]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/ आषाढ़ 14, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5, जुलाई 2021

का.आ. 2698(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा-11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2429 (अ), दिनांक 01 अगस्त 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 का संपूर्ण खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाएगा) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के वाराणसी-हनुमना खण्ड के डिज़ाइन कि.मी. 15.100 से कि.मी. 140.200 (मौजूदा किमी 15.100 से किमी 140.265) के सड़क खंड की निवल लंबाई 85.343 कि.मी. के चार और अधिक लेन खंड हेतु और 28.910 कि.मी (जिनकी लंबाई 2.891 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर और बाईपास जिनकी लंबाई 36.866 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर आधार दर के 150% की दर से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए सारणी निवल सड़क लंबाई पर देय और भुगतान होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में प्रतापपुर गांव के निकट एनएच-7 के डिजाइन किमी 27.275 पर	34.711 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%
उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में अटरैला शिव गुलाम नं. 3 के निकट एनएच-7 के डिजाइन किमी 109.450 पर	50.632 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान होगा:

सारणी - 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में प्रतापपुर गांव के निकट एनएच-7 के डिजाइन किमी 27.275 पर	एनएच-7 का नारायणपुर बाइपास	डिज़ाइन किमी 20.200	डिज़ाइन किमी 23.550	3.110 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	77.00	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%

	एनएच-7 का पुरुषोत्तमपुर बाइपास	डिज़ाइन किमी 26.900	डिज़ाइन किमी 28.750	1.590 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	31.34	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%
	एनएच-7 का जमुई बाइपास	डिज़ाइन किमी 35.850	डिज़ाइन किमी 39.200	3.118 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	37.88	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%
	एनएच-7 का पडारी बाइपास	डिज़ाइन किमी 53.600	डिज़ाइन किमी 57.800	4.110 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	77.43	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%
	एनएच-7 का मिर्जापुर बाइपास	डिज़ाइन किमी 63.100	डिज़ाइन किमी 80.000	16.556 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	289.75	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%
उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में अटरैला शिव गुलाम नं. 3 के निकट एनएच-7 के डिज़ाइन किमी 109.450 पर	एनएच-7 का लालगंज बाइपास	डिज़ाइन किमी 96.800	डिज़ाइन किमी 102.600	5.656 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	93.28	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%
	एनएच-7 का द्रामंदगंज बाइपास	डिज़ाइन किमी 123.800	डिज़ाइन किमी 127.000	2.726 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	35.42	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान होगा:

सारणी – 4			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में प्रतापपुर गांव के निकट एनएच-7 के डिजाइन किमी 27.275 पर	1.705 [^]	17.050	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%
उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में अटरैला शिव गुलाम नं. 3 के निकट एनएच-7 के डिजाइन किमी 109.450 पर	1.186 [^]	11.860	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 100%

[^] ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	15.514	15.586	वीयूपी	0.072
2	20.664	20.736	वीयूपी	0.072
3	23.064	23.232	वीयूपी	0.168
4	28.490	29.137	आरओबी	0.647
5	36.834	36.906	वीयूपी	0.072
6	38.446	38.606	मेजर ब्रिज	0.160
7	43.971	44.051	मेजर ब्रिज	0.080
8	55.636	55.726	मेजर ब्रिज	0.090
9	63.581	63.653	वीयूपी	0.072
10	69.132	69.332	मेजर ब्रिज	0.200
11	79.351	79.423	वीयूपी	0.072
कुल				1.705

^{^^} ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	81.717	81.797	मेजर ब्रिज	0.080
2	97.407	97.479	वीयूपी	0.072
3	102.444	102.516	वीयूपी	0.072

4	113.301	113.789	मेजर ब्रिज	0.488
5	124.999	125.089	मेजर ब्रिज	0.090
6	126.608	126.992	डक्ट माध्यम	0.384
कुल				1.186

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर **275.00/-**रुपए (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी – 5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3292.69 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[एनएचएआई/13013/सीओ/20-21/शुल्क अधिसूचना/पीएफ/वाराणसी-हनुमाना खंड (किमी 15.100 से किमी 140.200)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2698(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2429(E) dated the 01st August 2017 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 of 1988) , the Central Government has entrusted the entire National Highways No. 7 in the state of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 85.343 km for the use of four and more lane section and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 28.910 km (having length of 2.891 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 36.866 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Varanasi-Hanumana Section from design kilometer 15.100 to kilometer 140.200 (existing km 15.100 to km 140.265) of National Highway number 7 in the State of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 27.275 of NH-7 near Pratappur village in Mirzapur district of Uttar Pradesh.	34.711 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km 109.450 of NH-7 near Atraila Shiv Gulam No. 3 in Mirzapur district of Uttar Pradesh.	50.632 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 27.275 of NH-7 near Pratappur village in Mirzapur district of Uttar Pradesh.	Narayanpur Bypass of NH - 7	Design km 20.200	Design km 23.550	3.110 (excluding structures >60m)	77.00	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Purushotampur Bypass of NH-7	Design km 26.900	Design km 28.750	1.590 (excluding structures >60m)	31.34	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Jamui Bypass of NH-7	Design km 35.850	Design km 39.200	3.118 (excluding structures >60m)	37.88	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Padari Bypass of NH - 7	Design km 53.600	Design km 57.800	4.110 (excluding structures >60m)	77.43	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Mirzapur Bypass of NH - 7	Design km 63.100	Design km 80.000	16.556 (excluding structures >60m)	289.75	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km 109.450 of NH-7 near Atraila Shiv Gulam No. 3 in Mirzapur district of Uttar Pradesh.	Lalganj Bypass of NH-7	Design km 96.800	Design km 102.600	5.656 (excluding structures >60m)	93.28	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Dramondganj Bypass of NH-7	Design km 123.800	Design km 127.000	2.726 (excluding structures >60m)	35.42	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 27.275 of NH-7 near Pratappur village in Mirzapur district of Uttar Pradesh.	1.705^	17.050	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km 109.450 of NH-7 near Atraila Shiv Gulam No. 3 in Mirzapur district of Uttar Pradesh.	1.186^^	11.860	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	15.514	15.586	VUP	0.072
2	20.664	20.736	VUP	0.072
3	23.064	23.232	VUP	0.168
4	28.490	29.137	ROB	0.647
5	36.834	36.906	VUP	0.072
6	38.446	38.606	Major Bridge	0.160
7	43.971	44.051	Major Bridge	0.080
8	55.636	55.726	Major Bridge	0.090
9	63.581	63.653	VUP	0.072
10	69.132	69.332	Major Bridge	0.200
11	79.351	79.423	VUP	0.072
Total				1.705

^^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	81.717	81.797	Major Bridge	0.080
2	97.407	97.479	VUP	0.072
3	102.444	102.516	VUP	0.072
4	113.301	113.789	Major Bridge	0.488
5	124.999	125.089	Major Bridge	0.090
6	126.608	126.992	Viaduct	0.384
Total				1.186

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275.000 (Two Hundred and Seventy-Five Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3292.69 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/20-21/Fee Notification/PF/ Varanasi-Hamumana Section (Km. 15.100 to Km. 140.200)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.